(21)

प्रेषक

संख्या: 10/XVII(2)/2008-29(सै0क0)/2002

प्रेषक,

राधा रतूड़ी,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,

सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास,

देहरादून, उत्तराखण्ड।

सैनिक कल्याण अनुभाग

देहरादून दिनांक: 09 ,जनवरी 2008

विषय: सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली-2002 में आवश्यक संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक, शासनादेश संख्या:-423-सै.क.-02-29(सैनिक कल्याण)/2002 दिनांक 03 नवम्बर, 2002, संशोधित शासनादेश संख्या:- 226/XVII(1)/04-09(29)/2002, दिनांक 28 सितम्बर, 2004 एवं संशोधित शासनादेश संख्या:-325/XVII(2)/2007-29(सै.क.)/2002, दिनांक 13 सितम्बर, 2007 तथा आपके पत्र संख्या:-4003/सै.क./सै.वि.गृ. नियमावली/संशो. दिनांक 10 दिसम्बर, 2007 की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुये मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय "उत्तराखण्ड सैनिक विश्राम गृह अधिवासन नियमावली-2002" में तात्कालिक प्रभाव से निम्नानुसार संशोधन किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

क्र.सं.	सन्दर्भ	पूर्व प्रस्तर	संशोधित प्रस्तर
1	खण्ड-उप खण्ड-2(ज), (झ) एवं (ञ)	नवीन प्रस्तर सम्मिलित किया जा रहा है।	2(ज) - "सामान्य पर्यटक" का तात्पर्य ऐसे पर्यटकों से है, जो पर्यटन विभाग के मानक के अनुसार पर्यटक की श्रेणी में आते हैं। 2(झ) - "पात्र" का तात्पर्य ऐसे पूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों से है, जो पर्यटन विभाग द्वारा निर्धारित मानदण्डों के सम्बन्ध योग्यता/पात्रता धारित करते हों। पूर्व सैनिक एवं उनके आश्रितों की अनुपलब्धता की स्थिति में सामान्य नागरिक भी पात्र की श्रेणी अन्तर्गत नियमानुसार सम्मिलित समझे जायेंगे। 2(ञ) - "सक्षम प्राधिकारी" का तात्पर्य सैनिक कल्याण विभाग के अधिकारी ऐसे सक्षम प्राधिकारी से है, जिन्हें नियमावली 2002 - में के अन्तर्गत प्रत्यायोजित किया जा रहा है।

2	प्रस्तर-दो ग-1 (ग)	विश्राम गृह में अवैतनिक सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में सैनिक कल्याण सम्बन्धी कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। उनके अन्यथा घोषित आश्रितों को छोड़कर अतिथिगण करने वालों के साथ उनके ड्राईवर, निज और नौकर आदि नहीं ठहर सकते हैं।	विश्राम गृह में सेवारत सैनिक अधिकारी/सैनिक, पूर्व सैनिक व अर्द्ध सैनिक संगठन के अधिकारी, कर्मचारी तथा उत्तराखण्ड सचिवालय में कार्य करने वाले अधिकारी तथा कर्मचारी ठहर सकते हैं। इस के अतिरिक्त उपलब्धता की स्थिति में सामान्य व्यक्ति भी अतिथि ठहर सकेंगे। उनके अन्यथा घोषित आश्रितों को छोड़कर अतिथिगण करने वालों के साथ उनके ड्राईवर, निज और नौकर आदि नहीं ठहर सकते हैं।
3	प्रस्तर-तीन प्र-1 बिन्दु (5) एवं (6)	नवीन प्रस्तर सम्मिलित किया जा रहा है।	(5) सामान्य व्यक्तियों से किराया निर्धारण सम्बन्धित जनपद स्थित निरीक्षण भवन एवं सम्बन्धित विभाग जिले के अतिथि गृहों के निर्धारित किराये की दर तथा विश्राम गृह में उपलब्ध सुविधाओं के दृष्टिगत औचित्यपूर्ण ढंग से निर्धारित किया जायेगा अथवा जो दर शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जाय। (6) "मांइंस", निवास सम्पूर्ण विवरण/सम्बन्धी युक्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी एवं सामान्य अतिथियों के पास उपलब्ध रहेगा तथा किसी विश्राम गृह के व्यवस्थापक द्वारा उस सम्बन्धित जनपद के जिला सैनिक कल्याण एवं पुनर्वास कार्यालय में जमा भी किया जायेगा, जिसे विश्राम गृह में अतिथियों की मांग एवं सुविधा के अनुसार व्यवस्थापक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी द्वारा उपलब्ध कराया जायेगा तथा मांइंस की आवश्यकता पर नियमानुसार भौतिक रूप से उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी भी व्यवस्थापक एवं जिला सैनिक कल्याण अधिकारी की रहेगी, जिसका भुगतान सम्बन्धित अतिथियों द्वारा ही किया जायेगा।

2. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-846(P)/वि.अनु.-3/2007 दिनांक 21 जनवरी, 2008 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी की जा रही है।

भवदीय,

(विभा पुरी)

सचिव।

पृष्ठांकन संख्या- [illegible](2)/2008-2(सै0क0)/2002 तद्दिनांक

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पूर्व सैनिक कल्याण निगम लि0, देहरादून।
7. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, उत्तराखण्ड सचिवालय परिसर, देहरादून।
8. उपनिदेशक, राजकीय मुद्रणालय रुड़की (हरिद्वार) को इस आशय से प्रेषित कि नियमावली की 1000 प्रतियाँ मुद्रित कर सैनिक कल्याण अनुभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(अरुण कुमार ढौंडियाल)
अपर सचिव।